

¹[प्ररूप सं. 26थख

[धारा 194-झक, नियम 30 और नियम 31क देखें]

धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती का चालान-सह-विवरण

वित्तीय वर्ष		-	मुख्य शीर्ष कोड*		लघु शीर्ष कोड*		
अंतरिती/दाता/क्रेता का स्थायी खाता संख्याक या आधार संख्यांक							
स्थायी खाता संख्यांक प्रवर्ग *				पैन की प्रास्थिति*			
अंतरिती/दाता/क्रेता का पूरा नाम							
अंतरिती/दाता/क्रेता का पूरा पता							
					पिन		
मोबाइल सं.	ई-मेल आईडी						
क्या एक से अधिक अंतरिती/दाता/क्रेता हैं (हां/नहीं)							
अंतरणकर्ता/आदाता/विक्रेता का स्थायी खाता संख्याक या आधार संख्यांक							
स्थायी खाता संख्यांक का प्रवर्ग*				पैन की प्रास्थिति*			
अंतरणकर्ता/आदाता/विक्रेता का पूरा नाम							
अंतरणकर्ता/आदाता/विक्रेता का पूरा पता							
					पैन		
मोबाइल सं.	ई-मेल आई डी						
क्या (अंतरक/पाने वाले/ विक्रेता एक से अधिक हैं (हां/नहीं)							
अंतरित संपत्ति का पूरा पता							
					पिन		
करार/बुकिंग की तारीख**		प्रतिफल का कुल मूल्य (रकम रुपए में)		किस्त या एकमुश्त राशि में संदाय			
क्या टीडीएस धारा 206 कख के अनुसार ऊंची दर पर काटा गया है (हां/या नहीं)***							
क्या यह अंतिम किस्त है?				हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>			
पिछली किस्त में संद त/प्रत्यय की कुल रकम, यदि हां (रु० में)(क)	वर्तमान में संदत/ प्रत्ययित की गई रकम (ख)	संपत्ति के मूल्य का कुल स्टांप-शुल्क (रु० में) (ग)	रकम जिस पर टीडीएस काटा जाना है (घ) (टिप्पण 1 देखें)	संदाय/प्रत्यय की तारीख	वह दर जिस पर कटौती की गई है (टिप्पण 2 देखें)	स्त्रोत पर कटौती की रकम (टिप्पण 3 देखें)	कटौती की तारीख***
क्या स्टांप-शुल्क का मूल्य विक्रय प्रतिफल से अधिक है					हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>		
निक्षेप की तारीख**		संदाय का ढंग	साथ साथ ई-कर संदाय <input type="checkbox"/>	पश्चात्कर्ती तारीख पर ई-कर संदाय <input type="checkbox"/>			
स्त्रोत पर कर कटौती के संदाय के ब्यौरे (रकम रु० में)							
टीडीएस (आय कर) (वह व्यक्ति जिसकी कटौती की गई है, के कर का प्रत्यय इस रकम के लिए दिया जाएगा)							
ब्याज							

1. आय-कर (उन्नीसवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 21.6.2022 से प्रतिस्थापित।

कुल संदाय					
कुल संदाय शब्दों में (रु0 में)					
करोड़	लाख	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई
विशिष्ट अभिस्वीकृति (टिन द्वारा सृजित)					

*स्वतः अद्यतन किया जाए

**दिदि/मम/वव के प्ररूप में

***1 अप्रैल, 2022 से, धारा 194-इक के अधीन कर कटौती के मामले में धारा 206कख के उपबंध लागू नहीं हैं।

टिप्पणी

- (क) किस्त के मामले में, जहां यह अंतिम किस्त नहीं है, (कख);
(ख) अन्य मामले में (अर्थात्, अंतिम किस्त या एकमुश्त संदाय) (कख) या (ग), जो भी अधिक हो।
- ऊंची दर पर कर की कटौती के मामले में धारा 206कख के उपबंध लागू हैं***
- (क) किस्त के मामले में, यहां यह अंतिम किस्त नहीं है, (कख) पर टीडीएस जैसा कि पहले वाली किस्तों में टीडीएस द्वारा कटौती की गई है, यदि कोई हो। या
(ख) अन्य मामले में (अर्थात् अंतिम किस्त या एकमुश्त राशि का संदाय), (कख) या (ग) पर टीडीएस जो भी अधिक हो, जैसा कि पहले वाली किस्तों पर संदत्त टीडीएस द्वारा का किया गया है, यदि कोई हो।